राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 08 / 2021

पृथ्वी सिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....आवेदक

ब–ना–म

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र भूराराम
2. रामोतार पुत्र भूराराम
3. होशियार सिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. देशराज पुत्र रीछपाल
5. हंसराम पुत्र रीछपाल
6. धर्मेन्द्र पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश
8. ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण
9. पृथ्वीपाल पुत्र जयनारायण
10. माडूराम पुत्र जयनारायण
11. विनोद कुमार पुत्र जयनारायण
12. दड़कली पत्नी जयनारायण
13. बाई पत्नी जगदीश
14. महेन्द्र पुत्र बोदूराम
15. मोहनराम पुत्र सुरजाराम ग्राम सातड़ा जिला चूरू, राज0
16. रामोतार पुत्र रामजीलाल
17. सत्यनारायण पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. संपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री जयप्रकाश सैनी – प्रार्थी / अनावदेक की ओर से
2. श्री हेमराज सिंह – अप्रार्थी / आवेदक की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

:: निर्णय :: दिनांक 30–03–2021

प्रार्थी/अनावेदकगण सं. 1 लगायत 3, 7 व 15 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. संपठित धारा 151 जा.दी. इस आशय का पेश किया है कि आवेदक ने खसरा नंबर 135 रकबा 1.52 है. में से रास्ता चाहा है खसरा नंबर 135 आवेदक व अनावेदक सं. 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संयुक्त खातेदारी की भूमि में रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है उसके लिए खाता विभाजन ही एक मात्र विकल्प है तथा उसी में रास्ते की मांग कर सकते हैं। आवेदक ने अपने ही खातेदारी की भूमि में से रास्ता चाहा है तथा वही का प्रस्तावित रास्ता बनाया है जबकि धारा 251(क) में अपने ही खातेदारी की भूमि में से रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा ना ही सुखाधिकार प्राप्त होता है। आवेदक ने अनावेदकगण की भूमि में से जहां प्रस्तावित रास्ता बताया है वहां कभी भी रास्ता नहीं रहा है। अनावेदकगण सं. 1 लगायत 3 ने अपने हिस्से की भूमि जिस पर वह काबिज है वहां फलदार पेड़ लगा रखे हैं। अनावेदक सं. 15 ने अपनी भूमि खसरा नंबर 102 के उत्तरी हिस्से पर मकानों का निर्माण का रखा है तथा आवेदक ने इन्हीं मकानों में से अपने आवेदन में रास्ता होना बताया है जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आवेदक ने खसरा नंबर 135 में मकान बना रखे हैं उस भूमि का किस्म परिवर्तन करवाया हुआ है, आवासीय में दर्ज है जिसका खसरा नंबर 2367/135 है। इस प्रकार आवासीय भूमि व मकानों के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदक ने खसरा नंबर 135 में खड़े फलदार पेड़ व खसरा नंबर 102 में बने मकानों को अपने आवेदन पत्र में नहीं बताया है। आवेदक उक्त आवेदन पत्र की आड़ में अनावेदकगण के मकान व फलदार पेड़ों को नष्ट करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी/आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र दावे में प्रस्तुत किया जाता है किसी भी प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किया जा सकता है जो विधि विरूद्ध होने के कारण प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है। आवेदक ने अनावेदक सं. 1 लगायत 3 की सहमति से ही अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 135 में कुए तक व बाहमी बंटवारे के बाद हिस्से में आई भूमि तक रास्ता दर्ज करवाने के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया था लेकिन अब उनके असहमत होने पर आवेदक खसरा नंबर 135 की पश्चिमी मेड़ तक ही धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रास्ते की मांग करता है। खसरा नंबर 135 में स्थित कुए व आवेदक की बाहमी बंटवारे के बाद हिस्से में आई भूमि तक रास्ता के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष खाता विभाजन का दावा पेश कर दिया है। इसलिए अब आवेदक उक्त प्रार्थना पत्र में अनावेदक सं. 1 लगायत 3 से कोई भी अनुतोष नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को कोस्ट सहित खारिज किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता गलत मांगा है। खसरा नंबर 1480 से रास्ते की मांग की है जबकि 1480 में पूर्व से कोई रास्ता दर्ज/चालू नहीं है। नजरी नक्शे में रास्ते/सड़क को नहीं दर्शाया गया है। खसरा नंबर 102 में जहां रास्ता चाहा गया है वहां 20–30 वर्ष पूर्व से ही मकान बने हुए हैं। आवेदक व अनावेदक सं. 1 से 3 खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

135 के संयुक्त खातेदार है। अतः धारा 251(क) के तहत एक खातेदार से दूसरे सहखातेदार की भूमि में से रास्ता नहीं मांग सकता। संयुक्त खातेदारी की भूमि में रास्ता लेने का कोई प्रावधान धारा 251(क) में नहीं है। अतः प्रार्थी/अनावेदक का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जावे। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रार्थना पत्र में भी लगाया जा सकता है। अप्रार्थी/आवेदक का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौरान बहस तर्क किया है कि ओदश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र केवल दावे में ही लगाया जा सकता है। खसरा नंबर 135 में खाता विभाजन का पृथक से दावा कर दिया है, अतः हमें 102 खसरा नंबर तक रास्ता दे दिया जावे। खसरा नंबर 1480 से पूर्व गांव का मुख्य रास्ता चालू है जो कदीमी से चालू है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रार्थी का खारिज किया जावे।

मैंने बहस विद्धान अधिवक्त उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 173 खसरा नंबर 135 रकबा 1.52 है. दुर्गाप्रसाद पुत्र भूराराम हिस्सा 77/304, पृथ्वीसिंह पुत्र भूराराम हिस्सा 25/76, रामोतार पुत्र भूराराम हिस्सा 25/152, होशियारसिंह पुत्र भूराम हिस्सा 77/304 जाति जाट सा.नालपुर की खातेदारी में दर्ज है जो संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थी/आवेदक ने अपनी ही सहखातेदारी की भूमि में से प्रस्तावित रास्ता चाहा है जो पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शा जिसमें लाल स्याही से अंकित किया गया है से स्पष्ट होता है। इस प्रकार भूमि खसरा नंबर 135 के आवेदक व अनावेदक सं. 1 लगायत 3 संयुक्त खातेदार हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत एक खातेदार दूसरे सहखातेदार की भूमि में से रास्ते की मांग नहीं कर सकता है।

अतः प्रार्थी/अनावेदक का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. संपठित धारा 151 जा.दी. विधि सम्मत् होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी/आवेदक का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विधि विरूद्ध (Bared by law) होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झ.न.)